1004

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 1256 /1110/2019/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 01 /10/2019

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय : सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश- निजी चिकित्सालय में उपचार कराने संबंधी अनुमोदन बाबत्।

-0-0-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों के संबंध में जारी पूर्व आदेश दिनांक 24.07.2019 में किये गए संशोधन संबंधी आदेश क्रमांक एफ 5-11/2018/एक(1), दिनांक 29.08.2019 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत हैं।

संलग्न :- यथोपरि।

A.N

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3097

JD (MR)
DD (MR)
04/11/19
4-11-19

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन भोपाल--462004

क्रमांक 3565 वि.स./ने.स.प.क./वै.राहत
दिनांक 29/8/19

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2019

::आदेश::

क्रमांक एफ 5-11/2018/एक(1) : अवमानना याचिका क्रमांक 425/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को जारी समसंख्यक आदेश के शीर्षक "Reimbursement for medical treatment in private hospitals without prior approval of the state Government" के निर्णय मे एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है--

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों (परिशिष्ट--1) में, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राज्य के बाहर के अस्पतालों (परिशिष्ट--2) में, CGHS द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज अनुसार उपचार कराने तथा आकस्मिक (Emergency) उपचार की आवश्यकता की स्थिति मे किसी भी निजी चिकित्सालय में उपचार कराने पर राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(धरनेन्द्र कुमार जैन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5-11/2018/एक(1)

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि:--

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ।
(2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ।
(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
(4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग ।
(5) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव 29.8.19
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई, 2019

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 5–11/2018/एक (1) : अवमानना याचिका क्रमांक 425/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए के संबंध में दिए गए निर्देशों के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

निर्देश (1) Reimbursement for medical treatment in private hospitals without prior approval of the state Government.

निर्णय–आकस्मिक (Emergency) उपचार की आवश्यकता की स्थिति में तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों (परिशिष्ट–1) में, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राज्य के बाहर के अस्पतालों (परिशिष्ट–2) में तथा CGHS द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज अनुसार उपचार कराने पर राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

निर्देश (2) Sanctioning Authority to be the Registrar General of the High Court.

निर्णय–स्वीकृतकर्ता अधिकारी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल होंगे।

निर्देश (3) Reimbursement to be provided for treatment taken in any other State; and

निर्णय– संबंधित मेडिकल कॉलेज के डीन की अनुशंसा के आधार पर अन्य राज्यों में उपचार के देयकों की प्रतिपूर्ति की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

24/7/19

...2...

परिशिष्ट-2

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक OST /CME /2019/281

भोपाल, दिनांक 29/06/2019

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
3-अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर ।
4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को उपचार कराये जाने हेतु राज्य से बाहर निजी चिकित्सालय को मान्यता देने बावत् ।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग निम्नलिखित अस्पतालों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के अंतर्गत निम्न शर्तो के अधीन मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अस्पताल के सम्मुख दर्शायी बीमारियों के लिये एन0ए0बी0एच0 मान्यता की अंतिम तिथि तक के लिए उपचार हेतु राज्य शासन द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर मान्यता प्रदान करता है :-

क्र.	अस्पताल का नाम	एन0ए0बी0एच0 की अवधि	उपचार हेतु अनुमति प्रदान की गई बीमारी का नाम
1	फंटियर लाईफ लाईन प्रा.लि., चेन्नई।	09.09.2016 से 08.09.2019 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी)
2	मेदान्ता द मेडिसिटी गुड़गॉव, (हरियाणा)।	23.03.2017 से 22.03.2020 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलॉजी 5 केंसर 7 हिप रिप्लेशमेंट
3	भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जयपुर (राज.)।	31.03.2018 से 30.03.2021 तक	5 केंसर
4	ऑरेन्ज सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, (महाराष्ट्र)।	11.03.2018 से 10.03.2021 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलॉजी 5 केंसर
5	अपोलो हास्पिटल इंटरनेशलन लि. गॉधीनगर, (गुजरात)।	04.02.2017 से 03.02.2020 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलॉजी 5 केंसर 7 हिप रिप्लेशमेंट
6	अपोलो हास्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, बिलासपुर (छ.ग.)।	27.07.2016 से 26.07.2019 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलॉजी 5 केंसर 7 हिप रिप्लेशमेंट

Scanned by CamScanner

7	भगवती हास्पिटल, रोहणी, दिल्ली।	03.12.2016 से 02.12.2019 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी 7 हिप रिप्लेशमेंट
8	सर्वोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद।	20.06.2017 से 19.06.2020 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी 5 केंसर 6 कॉकलीयर इम्प्लान्ट 7 हिप रिप्लेशमेंट
9	स्पन्दन हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर, (महाराष्ट्र)।	10.11.2016 से 09.11.2019 तक	1 एंजियोग्राफी 5 केंसर
10	वीरोक सुपरस्पेशलिटी आर्थोपेडिक्स हास्पिटल, करेलीबंग बडोदरा (गुजरात)	10.11.2016 से 09.11.2019 तक	7 b Hip Replacement (Orthopedics)
11	बैंकर्स हार्ट इंस्टीटयूट, बडोदरा (गुजरात)	29.08.2017 से 28.08.2020 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी
12	वेंकटेश्वर हास्पिटल द्वारका नई दिल्ली।	08.01.2018 से 07.01.2021 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी 5 केंसर 6 कॉकलीयर इम्प्लान्ट 7b हिप रिप्लेशमेंट
13	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लि. सिकन्द्राबाद, (तेलंगाना)।	29.07.2017 से 28.07.2020 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी 5 केंसर 7 bहिप रिप्लेशमेंट
14	आर्टिमस हास्पिटल, गुडगॉव (हरियाणा)	16.02.2019 से 15.02.2022 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 3 किडनी ट्रान्सप्लान्ट 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी 5 केंसर 7 bहिप रिप्लेशमेंट
15	गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल उदयपुर, (राज.)।	11.03.2018 से 10.03.2021 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 4 न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलॉजी 5 केंसर

(1) जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अंतर्गत निदान उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विभाग के कंसलटेंट को दिखाना होगा। कंसलटेंट द्वारा राज्य के बाहर निदान/उपचार के निदान आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जॉच एक समिति करेगी। जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा मेडिकल एवं सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे।

(2) जिला मुख्यालय पर उक्त प्रमाण-पत्र की जॉच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ करेंगे। परंतु शासन आदेश एफ 4-23/2013/2/55 भोपाल दिनांक 21.12.2018 का पालन आवश्यक होगा।

10

निरंतर.....3

Scanned by CamScanner

(3) उपचार हेतु जाने के पूर्व नियमानुसार संभाग स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(4) उक्त चिकित्सालय में उपचार व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर अथवा वास्तविक व्यय उसमें से जो भी कम हो होगी, यदि अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित, महंगी चिकित्सा उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार, वह स्वयं वहन करेगा।

(5) ऐसे रोग जिनके उपचार के लिये उपरोक्त हास्पिटल्स में सुविधायें उपलब्ध है एवं मध्यप्रदेश में सुविधायें उपलब्ध नहीं है, उनके लिये संभाग स्तरीय समिति द्वारा राज्य से बाहर के चिकित्सालय में उपचार के लिये अनुशंसा की जावेगी ।

(6) चिकित्सालय में सी0जी0एच0एस0 द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।

(7) शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(8) चिकित्सालय द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जायेगा ।

(9) संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर यह देखने के लिये कि उपचार हेतु समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर का है, संस्थान की जॉच कर सकेंगे ।

(10) चिकित्सालय द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखी जायेगी तथा प्रतिमाह 7 तारीख को संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को भेजी जावेगी ।

(11) निर्धारित जॉच/इलाज की दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

(12) यदि संस्था द्वारा एन0ए0बी0एच0 का नवीन वैद्य प्रमाण-पत्र मान्यता जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी ।

13-अ 2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25/08/2014 के अनुसार जारी की जा रही है ।

13-ब तथा यह अनुमति वित्त विभाग पृष्ठांकन क्रमांक आर.नं. 628/ब्-6/2017/चार दिनांक 24.10.2017 द्वारा वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी की जा रही है ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक OST /CME /2019/281 भोपाल, दिनांक 29/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
8. समस्त अस्पताल..... की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

29.6.19

Scanned by CamScanner

482

प0सी0स0-2

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक ... /OST /CME /2019 भोपाल, दिनांक 1 / / /2019

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
3-अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर ।
4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को उपचार कराये जाने हेतु राज्य से बाहर निजी चिकित्सालय को मान्यता देने बावत् ।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग निम्न अस्पताल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के अंतर्गत निम्न शर्तो के अधीन मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अस्पताल के सम्मुख दर्शायी बीमारियों के लिये एन0ए0बी0एच0 मान्यता की अंतिम तिथि तक के लिए उपचार हेतु राज्य शासन द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर मान्यता प्रदान करता है :-

क्र.	अस्पताल का नाम	एन0ए0बी0एच0 की अवधि	उपचार हेतु अनुमति प्रदान की गई बीमारी का नाम
1.	स्पन्दन हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर, (महाराष्ट्र)।	10.11.2016 से 09.11.2019 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी)

(1) जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अंतर्गत निदान उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विभाग के कंसलटेंट को दिखाना होगा । कंसलटेंट द्वारा राज्य के बाहर निदान/उपचार के निदान आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जॉच एक समिति करेगी । जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा मेडिकल एवं सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे ।

(2) जिला मुख्यालय पर उक्त प्रमाण-पत्र की जॉच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ करेंगे । परंतु शासन आदेश एफ 4-23/2013/2/55 भोपाल दिनांक 21.12.2018 का पालन आवश्यक होगा ।

(3) उपचार हेतु जाने के पूर्व नियमानुसार संभाग स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(4) उक्त चिकित्सालय में उपचार व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर अथवा वास्तविक व्यय उसमें से जो भी कम हो होगी, यदि अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित; महंगी चिकित्सा उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार, वह स्वयं वहन करेगा।

(5) ऐसे रोग जिनके उपचार के लिये उपरोक्त हास्पिटल्स में सुविधायें उपलब्ध है एवं मध्यप्रदेश मे सुविधाऍं उपलब्ध नहीं है, उनके लिये संभाग स्तरीय समिति द्वारा राज्य से बाहर के चिकित्सालय में उपचार के लिये अनुशंसा की जावेगी ।

(6) चिकित्सालय में सी0जी0एच0एस0 द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।

(7) शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

निरंतर....2

(8) चिकित्सालय द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जायेगा ।

(9) संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर यह देखने के लिये कि उपचार हेतु समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर का है, संस्थान की जॉच कर सकेंगे ।

(10) चिकित्सालय द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखी जायेगी तथा प्रतिमाह 7 तारीख को संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को भेजी जावेगी ।

(11) निर्धारित जॉच/इलाज की दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

(12) यदि संस्था द्वारा एन0ए0बी0एच0 का नवीन वैद्य प्रमाण-पत्र मान्यता जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी ।

13-अ 2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25/08/2014 के अनुसार जारी की जा रही है ।

13-ब तथा यह अनुमति वित्त विभाग पृष्ठांकन क्रमांक आर.नं. 628/ब्-6/2017/चार दिनांक 24.10.2017 द्वारा वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी की जा रही है ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक /OST /CME /2019 भोपाल, दिनांक 01/7 /2019

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/ रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
8. समस्त अस्पताल.. की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक OST /CME /2019/434 भोपाल, दिनांक 25/10/2019

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
3- अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर ।
4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को उपचार कराये जाने हेतु राज्य से बाहर निजी चिकित्सालय को मान्यता देने बावत् ।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग निम्नलिखित अस्पतालों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के अंतर्गत निम्न शर्तो के अधीन मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अस्पताल के सम्मुख दर्शायी बीमारियों के लिये एन0ए0बी0एच0 मान्यता की अंतिम तिथि तक के लिए उपचार हेतु राज्य शासन द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर मान्यता प्रदान करता है :-

क्र.	अस्पताल का नाम	एन0ए0बी0एच0 की अवधि	उपचार हेतु अनुमति प्रदान की गई बीमारी का नाम
1	कोलम्बिया हास्पिटल, नागपुर	09.06.2019 से 08.06.2022 तक	1 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 2. कैंसर 3. न्यूरोलॉजी
2	अपोलो हास्पिटल, सिकन्द्राबाद	03.10.2017 से 02.10.2020 तक	1 हार्ट डिसीज (सर्जरी) 2 न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलॉजी 3. आर्थोपेडिक्स
3	न्यू ऐरा हास्पिटल, नागपुर	26.08.2019 से 25.08.2022 तक	1 हार्टडिसीज 2 न्यूरोसर्जरी/एंजियोग्राफी 3 केंसर (मेडिकल हेमेटो) 4. हिप रिप्लेसमेंट/लिवर ट्रान्सप्लांट
4	श्रीकृष्णा हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर, नागपुर	26.08.2019 से 25.08.2022 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज 3. आथोपेडिक्स

(1) जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अंतर्गत निदान उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विभाग के कंसलटेंट को दिखाना होगा । कंसलटेंट द्वारा राज्य के बाहर निदान/उपचार के निदान आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जॉच एक समिति करेगी । जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा मेडिकल एवं सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे ।

निरंतर.....2

(2) जिला मुख्यालय पर उक्त प्रमाण-पत्र की जॉच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ करेंगे । परंतु शासन आदेश एफ 4-23/2013/2/55 भोपाल दिनांक 21.12.2018 का पालन आवश्यक होगा ।

(3) उपचार हेतु जाने के पूर्व नियमानुसार संभाग स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(4) उक्त चिकित्सालय में उपचार व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर अथवा वास्तविक व्यय उसमें से जो भी कम हो होगी, यदि अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित, महंगी चिकित्सा उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार, वह स्वयं वहन करेगा।

(5) ऐसे रोग जिनके उपचार के लिये उपरोक्त हास्पिटल्स में सुविधायें उपलब्ध है एवं मध्यप्रदेश में सुविधायें उपलब्ध नहीं है, उनके लिये संभाग स्तरीय समिति द्वारा राज्य से बाहर के चिकित्सालय में उपचार के लिये अनुशंसा की जावेगी ।

(6) चिकित्सालय में सी0जी0एच0एस0 द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।

(7) शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(8) चिकित्सालय द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जायेगा ।

(9) संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर यह देखने के लिये कि उपचार हेतु समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर का है, संस्थान की जॉच कर सकेंगे ।

(10) चिकित्सालय द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखी जायेगी तथा प्रतिमाह 7 तारीख को संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को भेजी जावेगी ।

(11) निर्धारित जॉच/इलाज की दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

(12) यदि संस्था द्वारा एन0ए0बी0एच0 का नवीन वैद्य प्रमाण-पत्र मान्यता जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी ।

13-अ 2/यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25/08/2014 के अनुसार जारी की जा रही है ।

13-ब तथा यह अनुमति वित्त विभाग पृष्ठांकन क्रमांक आर.नं. 628/ब्-6/2017/चार दिनांक 24.10.2017 द्वारा वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी की जा रही है ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

23/10

1022

पृ0क्रमांक OST /CME /2019/435 भोपाल, दिनांक 25/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
8. समस्त अस्पताल.. की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

25/10

संचालनालय ...
सतपुड़ा भवन, भो...
05 NOV
आवक क्र. 588

05/11/19